कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

लोकपाल, मनरेगा(वैशाली)

शिकायत पत्र सं०- 9/13-14

वाद संख्या– 07 के तथ्य एवं निष्कर्ष

दिनांक		अभ्युक्ति
11.07.13	यह परिवाद श्री सूर्यदेव राय, निवासी, ग्राम– शहजादपुर, पो०– इसमाइलपुर, प्रखण्ड– हाजीपुर, जिला– वैशाली के दिनांक 25.03.2013 के आवेदन पत्र अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। (1)मनरेगा योजना संख्या 95/2008–09 मिश्री ठाकुर के दुकान (ग्राम पंचायत मनुँआ) से मथुरा सिंह के घर (ग्राम पंचायत इस्माईलपुर) तक पक्का नाला का निर्माण भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री राम नरेश राय, पिता– श्री गेना राय, ग्राम– मनुँआ, प्रखण्ड– हाजीपुर, जिला– वैशाली (अभिकर्त्ता) द्वारा नहीं कराया गया और 13,18,648.00 की राशि का निकासी कर गबन किया गया है। (2) मनरेगा योजना संख्या 49/2008–09 फौजदार राय के घर (ग्राम पंचायत मनुँआ) से बड़का नहर (ग्राम पंचायत इस्माईलपुर) तक भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री राम नरेश राय द्वारा पक्का नाला के निर्माण कराया गया है। इस योजना में अनियमितता हुई है। शिकायतकर्त्ता का आगे यह कहना है कि योजना संख्या 95/2008–09 कार्यस्थल में ही ग्राम पंचायत इसमाईलपुर के पंचायत सचिव (पूर्व) द्वारा पंचायत योजना संख्या 06/2004–05, 07/2004–05, 04/05–06 एवं 02/2005–06 द्वारा पक्का नाला का निर्माण किया जा चुका था, जिसके अभिकर्त्ता पंचायत सचिव, जवाहर लाल राय थे। अतः योजना सं0 95/2008–09 की निकासी नाजायज है। उक्त योजना कार्य के अभिकर्त्ता श्री राम नरेश राय भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं अशोक कुमार साह तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक थे। जिसे तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर के कार्यावधि में किया गया। उक्त कार्य की मापी पुस्तिका का सत्यापन कार्य, सहायक अभियंता, मनरेगा, प्रखण्ड–हाजीपुर द्वारा किया गया था। श्री शिशिर कुमार, कार्यापालक अभियंता, मनरेगा, हाजीपुर थे। शिकायतकर्त्ता के शिकायत के संबंध में श्री राम नरेश राय भूतपूर्व पचायत समिति सदस्य एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर से कारण पृच्छा की मांग की गयी। पंचायत समिति सदस्य ने आपने कारण पृच्छा में बताया कि योजना सं0 095/2008–09 में लगभग आधी कार्य पूरे होने के पश्चात् मुझे उक्त कार्य के अभिकर्त्ता से मुक्त करके श्री अशोक कुमार साह, तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत मनुँआ, को अभिकर्त्ता बनाया गया था। मेरे कार्य अवधि के कार्य तकनीकी एवं वरीय पदाधिकारियों के दिशा निदेश में कराया गया था एवं समय समय पर उक्त पदाधिकारियों द्वारा मापी पुस्तिका अंकित कर निरिक्षण किया गया था। कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर के द्वारा योजना संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किया गया। प्रथम दृष्टतया अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्राक्कलन के अनुसार नाला निर्माण हेतु प्रति 100फीट की दूरी के लिए 80,447/रूपये निर्धारित है। जबकि योजना संख्या 95/08–09 में मापी पुस्तिका के अनुसार नाला का निर्माण कम किया गया है। उक्त निष्कर्ष के बाद कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर ने सूचित किया कि तत्कालीन कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी श्रीमती अमिता ज्ञानी के कार्यावधि में उक्त कार्य का निष्पादन किया गया था। अतः कार्यक्रम पदाधिकारी, श्रीमती अमिता ज्ञानी, गोरौल से कारण पृच्छा की मांग की गयी। उन्होनें अपने कारण पृच्छा में बताया कि कार्य स्थल की मापी के बिना कार्य का आकलने नहीं किया जा सकता है। अतः कार्य स्थल की जांच करायी जाय। सहायक अभियंता मनरेगा, श्री जावेद अली द्वारा कार्य स्थल का जांच किया गया तथा कार्य की मापी की गयी। दिनांक 06.05.2013 को मेरे द्वारा भी कार्य स्थल का भ्रमण	

किया गया। मेरे साथ शिकायतकर्त्ता सूर्यदेव राय, भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री राम नरेश राय तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया तथा कार्य की मापी की गयी। कार्य स्थल पर पाया गया कि योजना संख्या 95/08–09 के नाले के सीध में ही पंचायत सचिव द्वारा बनायी गयी पूर्व के योजना भी सम्मिलित है।

मनेरगा योजना संख्या 49/08–09 ,95/08–09 तथा पंचायत सचिव द्वारा पूर्व में किये कार्यो की पंचायत योजना 06/2004–05, 07/04–05 ,04/05–06 तथा 02/05–06 की प्राक्कलन एवं मापी पुस्तिका का अवलोकन किया गया।

योजना संख्या 49/08–09 में प्राक्कलन के अनुसार नाला का निर्माण 475'5" फीट नाले के उपर 100फीट कवर स्लैब तथा आर0सी0सी0 कल्वर्ट का निर्माण किया जाना था। मापी पुस्तिका के अनुसार 475'.5" का नाला निर्माण किया गया है। स्लैब 100फीट की जगह 68 फीट ही बनाया गया है। तथा कल्वर्ट का निर्माण नहीं किया गया है। उक्त योजना कि प्राक्कलित राशि 4,99,200/– थी। जबकि मापी पुस्तिका में 480,619 रूपया अंकित है।

अतः अनियमितिता के तौर पर कबर स्लैब 32 फीट कम बनाया गया है तथा कलबर्ट का निर्माण नहीं किया गया है। और प्राक्कलन से 18,581 रूपये की राशि शेष बची हुई है।

उक्त योजना के प्राक्कलन में 100 फीट कबर स्लैब के निर्माण हेतु 31,217.00 रूपया तथा कल्बर्ट निर्माण हेतु कबर 79211.00रूपये निर्धारित है।

अतः 32 फीट हेतु स्लैब निर्माण की राशि 9,989.00 रूपये तथा कल्बर्ट हेतु 79,211.00रूपये की अनियमितता हुई है। प्राक्कलन राशि से मापी पुस्तिका में शेष राशि 18581.00 कम व्यय हो पायी है। उपरोक्त कुल अनियमित राशि 89200 में से 18,581.00 रूपया घटाने पर 70,619.00 रूपये की राशि हेतु कार्रवाई अपेक्षित है।

अतः जिम्मेदारी और जबावदेही के अनुसार श्री रामनरेश राय, भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य तथा कार्य के अभिकर्त्ता 10593/ रूपये, कुमारी पुष्पलता सिन्हा, तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक 3531/– रूपये अखिलेन्द्र सिंह तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक 14124/–रूपये, सुजाता कुमारी, तत्कालीन कनीय अभियंता 14,124/रूपये श्रीमती अमिता ज्ञानी तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी 14,124/ रूपये तथा मो0 जावेद अली, सहायक अभियंता, हाजीपुर , प्रखण्ड 14124/– रूपये से राशि वसूलनीय है।

योजना संख्या 95/08–09 में प्राक्कलन के अनुसार 2219'.5" फीट लंबे नाले का निर्माण तथा उपर में कवर स्लैब का निर्माण 500' किया जाना था। मापी पुस्तिका में नाला का निर्माण 1250 फीट में किया गया है तथा कवर स्लैब का निर्माण 213 फीट में किया गया है। जबकि कार्यस्थल पर नाला का निर्माण 1040 फीट ही मौजूद है। फलस्वरूप नाला का निर्माण 210 फीट कम हुआ है। प्राक्कलन में 100 फीट नाला का निर्माण हेतु 80,447.00 रूपये निर्धारित है। अतः 210 फीट के निर्माण राशि 168,940.00 रूपये की राशि हेतु कार्रवाई अपेक्षित है।

जिम्मेदारी और जबावदेही के हिसाब से श्री राम नरेश राय, भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं कार्य अभिकर्त्ता 7,602/– रूपये श्री अशोक कुमार साह, तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, 9292/– रूपये श्री अखिलेन्द्र सिंह तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक 11,825/– रूपये, श्री अरविन्द्र कुमार तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक, 13515/– रूपये सुजाता कुमारी, तत्कालीन कनीय अभियंता, 25,342/– रूपये श्रीमती अमिता ज्ञानी, तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, 33,788/– रूपये मो0 जावेद अली, सहायक अभियंता, प्रखण्ड–हाजीपुर 33788/– रूपये तथा श्री शिशिर कुमार, मनरेगा, कार्यपालक अभियंता, हाजीपुर 33788/– रूपये की राशि वसूलनीय है।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 847 /मनरेगा , वैशाली दिनांक 12.7.13
प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 847 /मनरेगा, वैशाली दिनांक 12.7.13
प्रतिलिपिः शिकायतकर्त्ता श्री सूर्यदेव राय, निवासी,ग्राम– शहजादपुर, पो0– इसमाइलपुर , थाना +प्रखण्ड– सदर हाजीपुर, जिला– वैशाली एवं श्री राम नरेश राय पूर्व पंचायत समिति सदस्य, पिता– श्री गेना राय, पंचायत – मनुँआ, थाना + प्रखण्ड– सदर हाजीपुर, जिला– वैशाली को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 847 /मनरेगा, वैशाली दिनांक 12.7.13
प्रतिलिपिः श्रीमती अमिता ज्ञानी कार्यक्रम पदाधिकारी, मो0 जावेद अली ,सहायक अभियंता, मनरेगा, अशोक कुमार साह, तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, कुमारी पुष्पलता सिन्हा, तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक, श्री अखिलेन्द्र सिंह, तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक, श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक, सुजाता कुमारी तत्कालीन कनीय अभियंता तथा श्री शिशिर कुमार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, हाजीपुर को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 847 /मनरेगा, वैशाली दिनांक 12.7.13
प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 847 /मनरेगा, वैशाली दिनांक 12.7.13
प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।